

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/1075

दिनांक :- 22/9/11

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों की 10 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम 08 में उल्लेखित दिनांक से पी.बी.-3 15600-39100 में ग्रेड पे 6000 (16) में प्रथम एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2		4	5	6	7	8
1	डॉ. अश्विनी कुमार श्रीमाली	दन्त चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जौधपुर	07-03-54	20-09-83	20-09-93	01-09-06
2	डॉ. अराधना सिंह	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	06-10-68	02-12-00	02-12-10	02-12-10
3	डॉ. अन्जनी लाल मथुरिया	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर	16-06-71	06-12-00	06-12-10	06-12-10
4	डॉ. अनिल पुरोहित	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर	22-08-71	03-09-97	03-09-07	03-09-07
5	डॉ. अपूर्व निधि कौशिक	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर	28-08-66	26-08-94	26-08-04	01-09-06
6	डॉ. देवेन्द्र कुमार अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य, स.प. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	04-12-59	10-06-94	10-06-04	28-12-06
7	डॉ. द्वारका प्रसाद मार्य	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	29-11-68	29-11-00	29-11-10	29-11-10
8	डॉ. दिनेशपाल सिंह	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	11-07-69	29-11-00	29-11-10	29-11-10
9	डॉ. हीरा लाल दायमा	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा	01-07-62	06-05-96	06-05-06	01-09-06
10	डॉ. लक्ष्मी तँवर	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	25-10-68	01-06-96	01-06-06	01-09-06
11	डॉ. मनीष बोहरा	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा	03-06-70	28-12-98	28-12-08	28-12-08

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2		4	5	6	7	8
12	डॉ. पवन कुमार शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	20-05-67	16-09-96	16-09-06	16-09-06
13	डॉ. रेखा भण्डारी	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द	06-11-64	27-03-92	27-03-02	01-09-06
14	डॉ. सरोज चौधरी	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जौधपुर	09-09-66	25-05-92	25-05-02	01-09-06
15	डॉ. सीमा जैन	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर	14-08-68	21-05-96	21-05-06	01-09-06
16	डॉ. सीमा जैन	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर	14-07-68	23-08-96	23-08-06	01-09-06
17	डॉ. सन्दीप राणा	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर	12-06-69	26-05-98	26-05-08	26-05-08
18	डॉ. संध्या राणावत	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	01-07-65	25-02-92	25-02-02	01-09-06
19	डॉ. सत्येन्द्र कुमार गोयल	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांरा	26-01-74	05-12-00	05-12-10	05-12-10
20	डॉ. रूपचन्द्र पंकज	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावड	15-12-69	29-11-00	29-11-10	29-11-10
21	डॉ. अनुराग तलेसरा	चिकित्सा अधिकारी	प्रभारी, चितरंजन एम.एस.यू., उदयपुर	22-09-69	19-07-96	19-07-06	01-09-06
22	डॉ. शैलेश चतुर्वेदी	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर	10-10-74	22-12-00	22-12-10	22-12-10
23	डॉ. अरविन्द जीनगर	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर	25-09-72	28-12-00	28-12-10	28-12-10
24	डॉ. सुमन चौधरी	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	20-06-72	12-12-00	12-12-10	12-12-10
25	डॉ. रतन टांक	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, जे. के. लोन. होस्पिटल, जयपुर	15-08-75	02-12-00	02-12-10	02-12-10

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2		4	5	6	7	8
26	डॉ. अखिलेश कुमार	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15-06-74	20-12-00	20-12-10	20-12-10
27	डॉ. विजय कुमार दया	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर	06-09-59	25-05-92	25-05-02	01-09-06
28	डॉ. अनिला श्रीवास्तव	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	26-07-63	25-05-92	25-05-02	01-09-06
29	डॉ. वन्दना चौधरी	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	19-05-76	06-12-00	06-12-10	06-12-10
30	डॉ. रजनी भार्गव	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडीकल कॉलेज, अजमेर	10-01-65	23-05-94	23-05-04	30-12-06

उक्त चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

- कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- एसीपी की देय तिथि से ठीक 10 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- उक्त कॉलम संख्या 06 में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- जिन चिकित्सकों द्वारा पदौन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदौन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 10 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2		4	5	6	7	8

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीपी में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के पे-बैंड 3(15600-39100) ग्रेड-पे 5400 (15) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- 22/9/11

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/1075

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 3 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर/अजमेर/बीकानेर।
- 4 अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/झालावाड़े/मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
- 5 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 6 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 7 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 8 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि विभाग की वैबसाइट पर तुरन्त अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 9 संबंधित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 10 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 11 कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 12 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।